

बिहार विधान सभा सचिवालय

**अष्टादश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र
दिनांक 11 फरवरी, 2026**

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के तृतीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. **प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3000/- (तीन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2.-5. **श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

6. **प्रभारी मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,54,48,000/- (ग्यारह करोड़ चौवन लाख अड़तालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 7.-9. **श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

10. **प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 701,50,95,000/- (सात सौ एक करोड़ पचास लाख पंचानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 11.-13. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार के भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

14. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7,41,15,000/- (सात करोड़ इकतालीस लाख पन्द्रह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

15. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,00,000/- (नौ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

16. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 63,41,24,000/- (तीरसठ करोड़ इकतालीस लाख चौबीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 17.-19. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

20. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ऊर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 381,34,00,000/- (तीन सौ इक्यासी करोड़ चौतीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 21-24. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

25. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 100,00,00,000/- (एक सौ करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 26-28. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

29. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,43,77,000/- (दो करोड़ तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

30. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 848,42,74,000/- (आठ सौ अड़तालीस करोड़ बयालीस लाख चौहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 31-34. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

35. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 321,22,00,000/- (तीन सौ इक्कीस करोड़ बाईस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 36.-38. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

39. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 86,72,66,000/- (छियासी करोड़ बहत्तर लाख छियासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

40. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1449,61,61,000/- (एक हजार चार सौ उनचास करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 41.-44. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

45. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 285,66,01,000/- (दो सौ पचासी करोड़ छियासठ लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 46.-49. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

50. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 364,85,45,000/- (तीन सौ चौंसठ करोड़ पचासी लाख पैतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

51. श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

52. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1723,53,29,000/- (एक हजार सात सौ तेइस करोड़ तिरपन लाख उनतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 53-55. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

56. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,80,00,000/- (तेइस करोड़ अस्सी लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक- श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

57. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,73,00,000/- (नौ करोड़ तिहत्तर लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-27
आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

58. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 31,91,01,000/- (इक्कतीस करोड़ इक्यानवे लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-30
आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

59. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7,08,66,000/- (सात करोड़ आठ लाख छियासठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 60-63. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-32
आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

64. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

मांग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

65. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,36,00,000/- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

66. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 106,00,00,000/- (एक सौ छः करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 67.-69. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

70. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1236,66,00,000/- (एक हजार दो सौ छत्तीस करोड़ छियासठ लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

71. श्री अखतरुल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

72. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 490,00,00,000/- (चार सौ नब्बे करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 73.-75. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

76. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2424,45,00,000/- (दो हजार चार सौ चौबीस करोड़ चैतालीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 77.-80. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

81. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 55,81,33,000/- (पचपन करोड़ इक्यासी लाख तैंतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

82. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 98,00,00,000/- (अनठानवे करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

83. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,12,85,000/- (दो करोड़ बारह लाख पचासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 84.-86. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

87. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,55,00,000/- (दो करोड़ पचपन लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

88. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

89. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 431,21,00,000/- (चार सौ इकतीस करोड़ इक्कीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 90.-92. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

93. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 50,00,00,000/- (पचास करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 94.-97. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री अरूण सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

98. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 80,86,09,000/- (अस्सी करोड़ छियासी लाख नौ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 99.-101. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

102. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 724,52,34,000/- (सात सौ चौबीस करोड़ बावन लाख चौतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 103.-105. श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-52

आय-व्ययक शीर्षक-खेल विभाग

106. प्रभारी मंत्री, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खेल विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,27,00,000/- (चौदह करोड़ सत्ताईस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-53

आय-व्ययक शीर्षक-युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

107. प्रभारी मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,67,26,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख छब्बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2026-

427

/वि०स०, पटना, दिनांक- 10 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुपमा प्रसाद
(अनुपमा प्रसाद)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2026-

427

/वि०स०, पटना, दिनांक- 10 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- संयुक्त निदेशक अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आगत सचिव / प्रधान आगत सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुपमा प्रसाद
(अनुपमा प्रसाद)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2026-

427

/वि०स०, पटना, दिनांक- 10 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुपमा प्रसाद
(अनुपमा प्रसाद)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

अनुपमा प्रसाद
10/02/2026